



**दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY**

No.P(R)227/P/Vol.III

प्रधान कार्यालय/Headquarters Office  
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch  
चेन्नै/ Chennai - 600 003  
दि./ Dated: {}-02-2014

**आर बी ई सं/RBE No. 9 / 2014**

**पी बी सी सं/ PBC No. 12 / 2014**


All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /  
DPOs/SPOs/WPOs /APOs of HQ /Divisions /Wokshops /other Units, etc., etc.,  
(As per mailing list - 'A' )

विषय/Sub: Determination of date of increment after expiry of  
duration of penalties of withholding of increments /  
reduction to lower stage imposed for less than a year  
regarding.

\*\*\*\*\*

A copy of Railway Board's letter No.E(D&A) 2008 RG6-36 dated 15-01-  
2014(RBE No. 09/2014) on the above subject is sent herewith for information,  
guidance and necessary action.

संलग्न/Encl: as above

  
(V.SRINIVASAN)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम  
Senior Personnel Officer/Rules  
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी  
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU  
The Genl Secy / AISCSTREA  
The Genl Secy/ AIOBCREA

The Genl Secy/NFIR

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&amp;A) 2008 RG6-36

महाप्रबंधक का कार्यालय  
GENERAL MANAGER'S OFFICE

New Delhi, 15/01/2014

The General Manager(P)  
All Indian Railways and  
Production Units etc.  
(As per standard list).

24 JAN 2014

दक्षिण रेलवे / Southern Railway  
चेन्नै / Chennai-600 003

Sub: Determination of date of increment after expiry of duration of penalties of withholding of increments/reduction to lower stage imposed for less than a year regarding.

.....

Ministry of Railways have received a few references regarding certain penalties of rule 6 of Railway Servants (Discipline And Appeal) Rules, 1968 which are having pay element imposed for less than a year. In one case, the penalty of withholding of increments was imposed on 24.3.2008 for a period of six months with cumulative effect and in the other case the penalty of reduction to lower stage was imposed on 9.2.2009 for a period of six months with non-cumulative effect.

2. The question of date of release of increment in the above cases on expiry of the penalty, in the context of fixing of 1st July as the date of increment uniformly for all Government servants following Vith CPC, has been examined in consultation with the Department of Personnel & Training. It is advised that fixing of 1st July as the date of increment for all Government servants under the Revised Pay Rules following the acceptance of the recommendation of the Vith CPC, is relevant only in respect of **Annual** increment. This provision is not applicable where the increment is withheld as a measure of penalty. In cases where the increment is withheld as a penalty for a specified period restoration of the withheld increment would be at the end of the currency of the penalty and not postponed to the next 1st July. The person concerned may even be entitled to the next increment on the 1st July following the expiry of the currency of the penalty, (notwithstanding the fact that the penalty imposed on him was having postponing effect on his future increments), if he has net qualifying service of six months prior to the relevant 1st July.

3. Likewise, where the penalty of reduction to lower stage was imposed, the pay will be restored immediately on expiry of the currency of the penalty. In so far as release of next increment is concerned, the same may also be allowed immediately on restoration if the person concerned has rendered net qualifying service of six months on the 1st July preceding the date of the expiry of the currency of the penalty.

4. Please acknowledge receipt.

  
(Harish Chander)

Dy. Director Estt. (D&A)  
Railway Board

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डीएंडए) 2008 आरजी6-36

नई दिल्ली, दिनांक 15/01/2014

महाप्रबंधक (कार्मिक)  
सभी भारतीय रेल एवं  
उत्पादन इकाइयां आदि,  
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: एक वर्ष से कम के लिए वेतन वृद्धि रोकने/निचले स्तर पर अवनति से संबंधित शास्तियों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वेतन वृद्धि की तारीख का निर्धारण करना।

.....

रेल मंत्रालय को, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 6 की कुछ ऐसी शास्तियां, जिनमें वेतन का अंश है और जो एक वर्ष से कम की अवधि के लिए अधिरोपित की गई हों, के संबंध में कुछ मामले प्राप्त हुए हैं। एक मामले में, 24.03.2008 को संचयी प्रभाव के साथ छः माह के लिए वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति लगाई गई थी तथा एक अन्य मामले में 9.2.2009 को गैर-संचयी प्रभाव के साथ छः माह के लिए निचले स्तर पर अवनति की शास्ति लगाई गई थी।

2. छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप से वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई निर्धारित होने के संदर्भ में उपर्युक्त मामलों में, शास्ति समाप्त होने पर वेतन वृद्धि जारी करने की तारीख के प्रश्न की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मंत्रालय में जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद संशोधित वेतन नियमों के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई को वेतन वृद्धि की तारीख के रूप में निर्धारित करना केवल वार्षिक वृद्धि के लिए संगत है। यह प्रावधान, उन मामलों में जहां शास्ति के रूप में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है पर लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में, जहां एक निश्चित समय के लिए वेतन वृद्धि को शास्ति के तौर पर रोका जाता है, ऐसी रोकी गई वेतन वृद्धि को शास्ति का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात् बहाल कर दिया जाएगा और इसे अगली 1 जुलाई तक स्थगित नहीं किया जायेगा। यदि शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली 1 जुलाई तक संबंधित रेल सेवक ने छः माह की निर्धारित अर्हक सेवा अर्जित कर ली है तो वह शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली 1 जुलाई को अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार भी

होगा ( इस तथ्य के बावजूद भी कि उस पर लगाई गई शास्ति का उसकी भावी वेतन वृद्धियों पर स्थगनात्मक प्रभाव था) ।

3. इसी तरह से, जहां निचले स्तर पर अवनति की शास्ति लगाई गई हो, वहां शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर तत्काल वेतन को बहाल किया जाएगा। जहां तक अगली वेतन वृद्धि जारी करने का संबंध है, वह भी शास्ति की अवधि की समाप्ति के शीघ्र पश्चात् प्रदान कर दी जाएगी यदि संबंधित व्यक्ति ने शास्ति की अवधि समाप्त होने की तारीख से पूर्व 1 जुलाई को छ. माह की निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

4. कृपया पावती दें।



(हरीश चन्द्र)

उप निदेशक स्थापना (डी एंड ए)

रेलवे बोर्ड